

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1149

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पीएचसी और सीएचसी में चिकित्साकर्मियों की कमी

1149. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मियों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त केंद्रों/अस्पतालों में रिक्त पदों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन रिक्तियों को भरने और ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का प्रत्येक जिले में आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाओं, टेलीमेडिसिन सेवा और आवश्यक जीवन-रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई नई योजना लागू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), जिला अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मचारियों से संबंधित विवरण तथा देश भर के केंद्रों/अस्पतालों में उनकी रिक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण एचडीआई 2023-24 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

<https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/57202cf30629539e4d0fb0a2f700ac62.pdf>

स्वास्थ्य राज्य का विषय है। स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों में रिक्त पदों को भरने और ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

सरकारों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी देती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दीर्घकालिक रूप से भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के अनुसार पर्याप्त संख्या में नियमित पदों का सृजन करके मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी और अल्पावधि से मध्यम अवधि में महत्वपूर्ण कमियों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) पदों का उपयोग करना होगा। एनएचएम आईपीएचएस के अनुसार मध्यम और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों (जिला अस्पताल और उससे नीचे के स्तर) में मानव संसाधन की कमियों को पूरा करके नियमित मानव संसाधनों की पूर्ति करता है।

एनएचएम के अंतर्गत, देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मचारियों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानधन प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा देने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता और उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए भत्ता ताकि वे ऐसे क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सेवा करने के लिए आकर्षित हों।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञों / आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेतिस्ट / जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएस) प्रशिक्षित चिकित्सकों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- चिकित्सकों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए सहायक नर्स और दाई (एएनएम) के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यकलापों के संचालन के लिए प्रोत्साहन।
- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए बातचीत करने योग्य वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट, वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन शामिल है।
- एनएचएम के तहत दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमानी प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल के लिए समर्थन दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एनआरएचएम के तहत एक और प्रमुख कार्यनीति है।

सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आने वाले रोगियों के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनकी जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) को कम करने के लिए निःशुल्क दवा सेवा पहल (एफ़डीएसआई) शुरू की है। इसमें उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 113 दवाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 179 दवाओं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 301 दवाओं, उप जिला अस्पताल स्तर पर 318 दवाओं और जिला अस्पतालों में 381 दवाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

मंत्रालय एनएचएम के अंतर्गत 'निःशुल्क निदान सेवा पहल' कार्यक्रम का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य समुदाय के निकट सुलभ और किफायती पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल निदान सेवाएं प्रदान करना है, जिससे जेब से होने वाला खर्च (ओओपीई) कम होता है। जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के सभी स्तरों पर निदान सेवाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं (उप केंद्रों पर 14 परीक्षण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 63, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 97, उप जिला अस्पतालों में 111 परीक्षण और जिला अस्पतालों में 134 परीक्षण)।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने और विशेष रूप से ग्रामीण तथा अल्पसेवित क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार करने के लिए ई-संजीवनी जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से टेलीकंसल्टेशन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी कार्यशील एएएम पर उपलब्ध टेलीकंसल्टेशन सेवाएँ लोगों को उनके घरों के निकट विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, जिससे भौतिक पहुँच की चुनौतियाँ और सेवा प्रदाताओं की कमी दूर होती है तथा देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित होती है।
